न्यायालय जिला कलक्टर, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– डॉ. महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 56/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/168

अपीलान्ट		रेस्पोडेन्ट
बृजमोहन पुत्र श्री रामचन्द्र जाति विश्नोई, निवासी गच्छीपुरा, तहसील मकराना।	बनाम	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भू–अभिलेख, मकराना।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थन भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार भू–अभिलेख मकराना जिला डीडवाना–कुचामन दिनांक 14.08.2025 जो प्रकरण संख्या 87/2025 उनवानी बृजमोहन बनाम तहसीलदार में नामान्तरकरण संख्या 109 निरस्त नहीं कर प्रार्थी के नाम नामान्तरकरण दर्ज नहीं किये जाने बाबत्।

–:निर्णय:–

दिनांक : 03.11.2025

अपीलांट की ओर से पेश अपील के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि:–

ग्राम इटावा बामणिया तहसील मकराना स्थित खसरा नम्बर 53 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 53/2 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 53/3रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 55 रकबा 06 बिस्वा कुल 11 बीघा 1 बिस्वा भूमि पूर्व खातेदार द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.02.1971 को अपीलार्थी के पिता रामचन्द्र को बेचान कर दी थी श्री रामचन्द्र का देहांत दिनांक 19.03.2019 को हो चुका है, इसलिये अपीलार्थी द्वारा बहैसियत वारिस एक आवेदन तहसीलदार मकराना के समक्ष दिनांक 07.07.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में खातेदारी काश्तकार के विरूद्ध अविधिक तौर पर नामान्तरकरण सख्या 109 दिनांक 16.01.1978 को दर्ज कर दिया गया जिसके विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में समय समय पर प्रकरण लंबित रहे।

प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 20.06.2025 व अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के निर्णय दिनांक 28.12.2012 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 109 को निरस्त किया गया। उक्त निर्णयों की पालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.08.2025 को तहसीलदार मकराना के समक्ष अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण [illegible] करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिसे तहसीलदार मकराना ने खारिज कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 14:59:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार फरमायी जाकर आदेश न्यायालय तहीलदार भू–अभिलेख मकराना जिला डीडवाना–कुचामन दिनांक 14.08.2025 को निरस्त किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल व अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा पारित निर्णयों की पालना करते हूए नामान्तरकरण संख्या 109 दिनांक 16.01.1978 निरस्त किया जावे और मूल खातेदार द्वारा रामचन्द्र के नाम निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र व रामचन्द्र द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि का अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण में कार्यालय हाजा के पत्रांक 444 दिनांक 16.10.2025 के द्वारा तहसीलदार, मकराना से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, मकराना के पत्रांक 3040 दिंनाक 30.10.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण से सम्बन्धित एक सिविल रिट याचिका संख्या 19293/2025 उनवान चतराराम बनाम ग्यारसी देवी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है, जो इसी प्रकरण की विषय वस्तु से सम्बन्धित है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार मकराना की रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण से सम्बन्धित एक सिविल रिट याचिका संख्या 19293/2025 उनवान चतराराम बनाम ग्यारसी देवी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है, जो इसी प्रकरण की विषय वस्तु से सम्बन्धित होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **03.11.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Mkhadgawat 03.11.2025

(डॉ. महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 14:59:57 IST
Reason: SelfAttested